प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 12.06.2026

क्रैक साइबर क्राइम के साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 6729.30 रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक को लाभ का प्रलोभन देकर उसके साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में ट्रांसफर हुए 10,000 रुपये में से 6729.30 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री आरिफ खान पुत्र मो0 आयुब खान निवासी भिटवा टोला रोशन नगर खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से दिनाँक 31.05.2026 को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदक को लाभ का प्रलोभन देकर उसके साथ धोखाधड़ी (फ्रॉड) कर फ्राड खाते में 10,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करवा लिया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33112250173966 पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से 10000 रुपये मे से 6729.30 रुपये की धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर सेल टीम:- अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), आरक्षी रविकान्त कुशवाहा, महिला आरक्षी रीता देवी, महिला आरक्षी शिवांगी सिंह।

अपील

आमजन से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

क्रैक साइबर क्राइम के साइबर अपराध के शिकार हुए पीड़ित को साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम ने दिलाई राहत, वापस कराई गई 5,000रु0 की धनराशि

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्रैक साइबर क्राइम के तहत साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु साइबर सेल थाना कोतवाली खलीलाबाद टीम द्वारा सतत प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर आवेदक को गलत विडियो देखने कि बात से ब्लैकमेल करके ट्रान्सफर करायी गई 5000 रुपये की धनराशि आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरणः- श्री रामदरस पुत्र रामदेव निवासी बस्ती देवा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से दिनाँक 07.01.2026 को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी बनकर आवेदक को गलत विडियो देखने कि बात से ब्लैकमेल कर के फ्राड खाते में 5,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफर करवा लिया गया। ठगी का अहसास होने पर आवेदक ने तत्काल थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिकायत दर्ज कराई। साइबर हेल्प डेस्क पर तैनात आरक्षी रविकान्त कुशवाहा द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए NCRP पोर्टल पर शिकायत संख्या 33101260004710 पंजीकृत की गयी। पुलिस की प्रभावी पैरवी से पूरी धनराशि को आवेदक के खाते में सफलतापूर्वक वापस करा दी गयी।

साइबर सेल टीम:- अपराध निरीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार यादव (प्रभारी साइबर सेल), आरक्षी रविकान्त कुशवाहा , महिला आरक्षी रीता देवी , महिला आरक्षी शिवांगी सिंह।

अपील

जनता से अनुरोध है कि किसी भी अनजान कॉल या ब्लैकमेलिंग के झांसे में न आएं। साइबर ठगी होने पर तत्काल Cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें।

दबिश के दौरान 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01.अखिलानन्द पुत्र हरिनरायन साकिन गौरा खुर्द थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर 2- सीताराम पुत्र रामबेलाश साकिन गौरा खुर्द थाना महुली जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री अजय कुमार भारती, हे0का0 आनन्द दूबे।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 12 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 365 वाहनों से 3,74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 12.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 365 वाहनों से 3,74,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 42,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में चलाए जा रहे ***"ऑपरेशन कनविक्शन"*** अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 12.06.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/एफ0टी0सी0-**II** जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 42,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 04.09.2020 को थाना धनघटा पर अभियुक्त नाम पता मो0 सलीम पुत्र स्व0 फौजदार निवासी मंझरिया थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध वादिनी के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना उ0नि0 श्री रमाकान्त पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 543/2020 धारा 365/376/506 भादवि थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 365/376/506 भादवि के अपराध के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

दोषसिद्ध अभियुक्त मो0 सलीम उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376 भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास व 25,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नकरने पर 01 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 365 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 15,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नकरने पर 06 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष सश्रम कारावास व 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा नकरने पर 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।